



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 06.03.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.01.2021 को थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को इसके साथी अभियुक्त वकील के साथ कुल 01 किलोग्राम (प्रत्येक से 500 ग्राम) चरस सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 26/21 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

कार्यवाही –

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज 06.03.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 -03 / एनडीपीएस एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 26/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त सोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कारावास व ₹ 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –

सोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 06.03.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 31.10.2013 को अभियुक्त नवनीत पुत्र यादराम निवासी ग्राम बकली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1128/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 06.03.2025 को मा0 न्यायालय A.D.J. 06 जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 1128/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त नवनीत पुत्र यादराम निवासी ग्राम बकली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

नवनीत पुत्र यादराम निवासी ग्राम बकली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 06.03.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 29/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2)/16/17 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.01.2025 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.रजत कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम ताहरपुर इशहाक उर्फ गाजीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत कार्य किया गया जिसमें अभियुक्तगण 2.अमन पुत्र अजय कुमार व 3.दीपू पुत्र चमन सिंह निवासीगण ग्राम ताहरपुर इशहाक उर्फ गाजीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त रजत का सहयोग किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 29/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2)/16/17 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दीपू पुत्र चमन सिंह निवासीगण ग्राम ताहरपुर इशहाक उर्फ गाजीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित मुख्य अभियुक्त रजत कुमार उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपू पुत्र चमन सिंह निवासीगण ग्राम ताहरपुर इशहाक उर्फ गाजीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.व0उ0नि0 इलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी अनिल कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।